

FORM NO III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

13/4/20

12/05/20

17/6/20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किशनगढ़ (अजमेर)

1. श्रीमती मीरा पत्नि स्व० श्री रामदेव जाति भील निवासी ग्राम दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर राज० वगै० वादीगण

बनाम

1. हंसराज पुत्र श्री जगदीश जाति भील निवासी ग्राम दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर राज० वगै० प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा - 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 131 भू-राजस्व अधिनियम

नंबर 248 / 2019

ऑन लाईन नंबर 2019 / 000....

वकील वादीगण श्री नरोत्तम शर्मा

वकील प्रतिवादीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.2019	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री नरोत्तम शर्मा ने अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 131 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 23.12.2019 को पेश हो।	
23/12/20	उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर) पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप प्रति स. 1 अग्रमत 3 की ओर से वकील श्री गणेश राजपति द्वारा अक्रांतवाजा पेश किया जिसका आगामी पेशी पर जमाना पेश करने को निवेदन किया। अक्रांत सं. 4 की ओर से पत्रावली पेश के तारीख 24/12/20 को पेश हो।	

